कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 71

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		61.50	266.99	328.49	56.96	280.24	337.20	91.00	295.99	386.99
पूंजी		*28.50*	*9.01*	*37.51*	*15.00*	*9.01*	*24.01*	*47.00*	*9.01*	*56.01*
जोड़		**90.00**	**276.00**	**366.00**	**71.96**	**289.25**	**361.21**	**138.00**	**305.00**	**443.00**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	15.50	39.67	55.17	16.16	34.20	50.36	27.36*	45.45	72.81
2. न्याय प्रशासन	2014	...	25.86	25.86	...	27.08	27.08	...	27.84	27.84
3. कर्मचारी चयन आयोग	2051	...	24.43	24.43	...	25.48	25.48	...	32.08	32.08
पुलिस										
4. केन्द्रीय जांच ब्यूरो	2055	1.70	132.78	134.48	1.70	145.28	146.98	4.14	136.48	140.62
	4055	11.00	0.01	11.01	11.00	0.01	11.01	26.00	0.01	26.01
	जोड़	*12.70*	*132.79*	*145.49*	*12.70*	*145.29*	*157.99*	*30.14*	*136.49*	*166.63*
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
5. प्रशिक्षण	2070	42.80	30.99	73.79	38.45	31.58	70.03	57.00**	39.22	96.22
	4059	17.50	...	17.50	3.40	...	3.40	16.00	...	16.00
6. सतर्कता	*जोड़*	*60.30*	*30.99*	*91.29*	*41.85*	*31.58*	*73.43*	*73.00*	*39.22*	*112.22*
7. अन्य व्यय	2070	...	...	...	...	9.77	9.77	...	8.20	8.20
	2070	...	...	...	0.65	6.85	7.50	2.50	6.72	9.22
	4059	...	...	...	0.60	...	0.60	5.00	...	5.00
	जोड़	...	...	...	*1.25*	*6.85*	*8.10*	*7.50*	*6.72*	*14.22*
8. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण	7601	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00
9. अन्य मदें	2070	1.50	13.26	14.76	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***90.00***	***276.00***	***366.00***	***71.96***	***289.25***	***361.21***	***138.00***	***305.00***	***443.00***

* इसमें 7.00 करोड़ रुपए की विदेशी शामिल है।

** इसमें 8.00 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता शामिल है।

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	15.50	...	15.50	16.16	...	16.16	27.36	...	27.36
2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो	32055	12.70	...	12.70	12.70	...	12.70	30.14	...	30.14
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	61.80	...	61.80	43.10	...	43.10	80.50	...	80.50
	जोड़	**90.00**	**...**	**90.00**	**71.96**	**...**	**71.96**	**138.00**	**...**	**138.00**

1. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संबंध में सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जिसे नियम और विनियम बनाने/उनकी व्याख्या करने, भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति, वरिष्ठ और मझले प्रबंधन स्तर के लिए, सेवा शर्तों, सतर्कता, अनुशासन, कॅरिअर और जनशक्ति आयोजना इत्यादि का कार्य सौंपा गया है। प्रावधान में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, गृह कल्याण केन्द्र, आवासीय कल्याण संघ और संस्कृति विद्यालय इत्यादि को दी जाने वाली अनुदान सहायता भी शामिल है इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार करने का प्रावधान भी शामिल है। (ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जिसे प्रशासनिक सुधार, संगठन और पद्धति तथा नीति, समन्वय और शिकायतों के निवारण का कार्य सौंपा गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों, फिल्मों/सी.डी. के प्रदर्शन द्वारा अच्छे शासन की प्रक्रियाओं का प्रलेखन और प्रचार-प्रसार, सिविल सेवा दिन की मेजबानी, सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण, प्रशासनिक सुधार पर प्रायोगिक परियोजना और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन शामिल है तथा (ग) पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों को लाभों सहित सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी योजनाओं के प्रबंधन का कार्य देखता है ।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना संबद्ध व्यय जिसका गठन केवल लोक सेवकों की शिकायतों के निवारण के लिए यह प्रावधान किया गया है ताकि शिकायतों के निवारण में होने वाली देरी से बचा जा सके।

3. कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना संबद्ध व्यय और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के निचले ग्रेड के कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित परीक्षाओं के आयोजन हेतु यह प्रावधान किया गया है।

4. यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के व्यय के लिए है जो लोक सेवकों, गैर सरकारी व्यक्तियों, फर्मों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में अन्वेषण और अभियोजन के कार्य करता है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्र का आधुनिकीकरण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का ई-गवर्नेंस, केंन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय का भवन का निर्माण और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की मुम्बई शाखा के लिए भूमि खरीदने का भी सांकेतिक प्रावधान शामिल है।

5. इस प्रावधान में (क) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी; (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान; और (घ) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय शामिल है। ये संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रमों फाउंडेशन पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, मिड कैरियर ट्रेनिंग इत्यादि सहित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि सचिवालयी पदों के सभी स्तरों/ ग्रेडों के अधिकारियों को नवीनतम नियमों और विनियमों, अभिरूचि इत्यादि से परिचित रखा जा सके। सीधे भर्ती सहायक के वेतन जो छः महीने के फाउंडेशन कोर्स करते हैं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के संबंध में जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में अनिवार्य प्रशिक्षण लेते हैं जैसा कि अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार करते समय पूर्व शर्ते हैं को

भी मंत्रालय के वर्ष 2008-09 के बजट में भी केन्द्रीकृत किया गया है। उन पर घरेलू/विदेश यात्रा/पाठ्यक्रम शुल्क इत्यादि पर होने वाला व्यय भी शामिल है। इसमें प्रशिक्षण योजनाएं अर्थात् सभी को प्रशिक्षण, विदेश प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधियन, सूचना को पहुँचाने हेतु क्षमता निर्माण (यू.एन.डी.पी. स्कीम) और गरीबी कम करने संबंधी क्षमता निर्माण पर डी.एफ.आई.डी. परियोजना शामिल है । इसमें (क) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन; और (ख) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की स्थापना और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं के वर्धन सहित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के लिए अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाएं भी शामिल है।

6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग हेतु प्रावधान के, स्थापना संबद्ध व्यय और लोक पाल के लिए सांकेतिक प्रावधान के लिए व्यवस्था की गई है की के लिए यह प्रावधान किया गया है।

7. यह प्रावधान लोक उद्यम चयन बोर्ड और केन्द्रीय सूचना आयोग के स्थापना संबद्ध व्यय के लिए किया गया है। इसमें केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए कार्यालय भवन के निर्माण का प्रावधान, रिकार्डों को आंकड़ाबद्ध करने, विडियो सम्मेलन स्टूडियो इत्यादि बनाने, सी.आई.सी. प्लान स्कीमें शामिल हैं और केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुसंधान खंड हेतु कार्यालय भवन खरीदने का सांकेतिक प्रावधान भी शामिल है।

8. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भुगतान किए गए भवन निर्माण अग्रिम के संबंध में राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों के लिए यह प्रावधान लक्षित है जो कि इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीयकृत रूप से किया गया है।